(सुदीप अहलूवालिया, न्यायामूर्ति)

सम्मुख सुदीप अहलूवालिया से पहले, न्यायामूर्ति

मेसर्स बीजे-टेक्नो-एचएएस (जेवी)-याचिकाकर्ता

बनाम

राष्ट्रीय जलविद्युत निगम

सीमित-उत्तरदाता

2018 का सी. आर. सं. 9540

24 मई, 2019

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 5,19 और 27-दायर किए गए क्रॉस संशोधन-दावेदार का यह तर्क कि नीचे दिया गया न्यायालय धारा 27 के संदर्भ में अपने अधिदेश से परे चला गया और उसे न्यायाधिकरण के आदेश की शुद्धता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था-प्रतिवादी का यह तर्क कि नीचे दिया गया विद्वान न्यायालय उन दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति देने में त्रुटि में पड़ गया था, जिन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भी अनुमति नहीं दी गई थी-माना गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सी. पी. सी., 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं है और उसके पास उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित करने की शक्ति है-धारा 27 के संदर्भ में नीचे दिया गया न्यायालय न तो न्यायाधिकरण की कानूनी शुद्धता पर सवाल उठा सकता है। याचिका कर्ता की पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से मंजूर की गई । उतरदाता की पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से मंजूर की गई और विवाहित आदेश इस उमर तक तर्क किया कि उतरदाता दस्तावेज देगा जो न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पेश करने की इजाजत नहीं दी गई थी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं है और उप-धारा (3) के तहत इसकी शक्ति में किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और भार निर्धारित करने की शक्ति शामिल है।तथापि, अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पक्षकार किसी भी स्तर पर उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित कार्यवाहियों के संचालन में न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली किसी भी प्रक्रिया के लिए सहमत हुए हैं, जिसके कारण, अब स्वतः ही न्यायाधिकरण को उस तरीके से कार्यवाहियों का संचालन करना है जिसे वह उचित समझता है।सांविधिक रूप से यह सी. पी. सी. या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सख्त नियमों से बाध्य नहीं है, और इसलिए, उसके पास प्रस्तुत किए गए या पेश किए जाने के लिए मांगे गए किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित करने की शक्ति है।(पैरा 10)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब इस प्रकार धारा 5 के संयोजन में पढ़ा जाता है, जैसा कि ऊपर पैरा 7 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो मध्यस्थ कार्यवाही में न्यायिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को रोकता है, सिवाय इसके कि जब अधिनियम के भाग I के तहत विशेष रूप से अनुमति दी गई हो, तो यह तार्किक रूप से इस बात का पालन करेगा कि न्यायाधिकरण यह तय करने के अपने अधिकार के भीतर था कि दावेदार के आवेदन के संदर्भ में कौन सा साक्ष्य सामग्री या प्रासंगिक या स्वीकार्य था, जिसके आधार पर अंततः ऐसे साक्ष्य को पेश करने के लिए न्यायालय की सहायता मांगी गई थी।ऐसी स्थिति में, संबंधित न्यायालय, जिसकी उस उद्देश्य के लिए सहायता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के माध्यम से मांगी गई थी, स्पष्ट रूप से उक्त साक्ष्य के उत्पादन के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय की कानूनी शुद्धता में प्रवेश नहीं कर सकता था।

(पैरा 11) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में भी कोई संकोच नहीं है कि केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के संदर्भ में सख्ती से मांगे गए दस्तावेजों की मांग एल. डी. द्वारा सुरक्षित की जानी चाहिए थी। न्यायालय ने

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने मांगे गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने में गलती की थी।

(पैरा 20)

यश आनंद, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए सी. आर. नम्बर 9540-2018 और

2919 के सी. आर. नम्बर 1522 में प्रतिवादी के लिए।

लोकेश सिंहल, अधिवक्ता

सी. आर. नम्बर 9540-2018 में प्रतिवादी के लिए और

2919 के सी. आर. नम्बर 1522 में याचिकाकर्ता के लिए।

सुदीप अहलूवालिया, न्यायामूर्ति।

(1) ये एल. डी. द्वारा पारित दिनांकित 18.8.2018 के विवादित आदेश के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पक्षों द्वारा दायर दो प्रति संशोधन हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद (अनुलग्नक पी-13) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 27 के तहत उक्त न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन पर।

(2) मामले की पृष्ठभूमि यह है कि मध्यस्थता का आह्वान मेसर्स बीजे टेक्नो एच. ए. एस. के कहने पर किया गया था। (जेवी) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ।मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान, दावेदार ने 8.2.2016 पर मेसर्स बीजे-टेक्नो-एच. ए. एस. (जेवी) बनाम नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया

(सुदीप अहलूवालिया, न्यायामूर्ति)

मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रत्यर्थी को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देता है।अपने दिनांकित 1.8.2016 (अनुलग्नक पी-4) के विस्तृत आदेश के माध्यम से, मध्यस्थ

न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी को दावेदार के आवेदन के पैरा 5 के 5 को वरिष्ठ Nos.1 के खिलाफ मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया, इसके अलावा दावेदार द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक मापन पुस्तकों के कुछ हिस्सों की प्रति प्रदान करने के अलावा।ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थता कार्यवाही में प्रत्यर्थी पक्ष ने काफी समय तक उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद, 8.12.2016 पर दावेदार ने अधिनियम की धारा 27 (अनुलग्नक पी-8) के तहत एक आवेदन दायर किया।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 15.12.2016 (अनुलग्नक पी-9) के आदेश के माध्यम से उपरोक्त आवेदन की अनुमति दी, जिसके बाद अधिनियम की धारा 27 के तहत आवश्यक आवेदन एल. डी. के समक्ष दायर किया गया था। जिला।न्यायाधीश, फरीदाबाद 18.1.2017 (अनुलग्नक पी-10) पर, जिसे अंततः विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने विवादित आदेश द्वारा फैसला किया।

(3) दोनों पक्ष उपरोक्त आदेश से व्यथित हैं।यह उल्लेख किया जा सकता है कि विद्वान न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मूल आदेश को आंशिक रूप से दरकिनार कर दिया। विद्वान निचली अदालत की राय में क्रमांक नम्बर 1,2 और 3 में शामिल दस्तावेज। नीचे दिए गए न्यायालय को प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वे ही प्रतिवादी के प्रतिष्ठान की फाइल पर एकमात्र आंतरिक नोट शीट थे, और इसलिए, प्रतिवादी की ओर से उद्धृत मामले के कानून को देखते हुए, ऐसी नोट शीट, जो केवल आंतरिक कार्यालय फाइल के लिए थी, आवेदक को प्रदान नहीं की जा सकती थी।हालाँकि, क्र. Nos.4 और 5 पर दस्तावेजों को क्रमांक नम्बर.6 और 7 पर भी दस्तावेजों के साथ आपूर्ति करने की अनुमति दी गई थी, जिसके लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भी दावेदार की प्रार्थना की अनुमति नहीं दी थी।

(4) दावेदार का पक्ष विद्वान निचली अदालत के निर्णय से व्यथित है। निचली अदालत ने क्रमांक नम्बर 1,2 और 3 पर दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति नहीं दी, जबकि प्रतिवादी का पक्ष इस बात से व्यथित है कि वरिष्ठ क्रमांक नम्बर 6 और 7 पर, जिन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भी अनुमति नहीं दी गई थी, उन्हें विद्वान निचली अदालत द्वारा पेश करने का निर्देश दिया गया है।

(5) विवादित आदेश को चुनौती देने में, दावेदार की ओर से उठाया गया विवाद दो गुना है।सबसे पहले, कि विद्वान निम्न न्यायालय अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में अपने अधिदेश से परे चला गया, जिसके अनुसार, एल. डी. द्वारा मांगे गए साक्ष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से केवल अपनी सांविधिक मशीनरी प्रदान करने की आवश्यकता थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण, और न्यायाधिकरण के आदेश की शुद्धता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था।दावेदार के तर्क का दूसरा अंग यह है कि एल. डी. निम्न न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलत था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा बुलाए जाने की अनुमति वाले दस्तावेज साक्ष्य में अतुलनीय थे, 94

क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान अधिनियम की धारा 19 को देखते हुए मध्यस्थ कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पक्ष का तर्क है कि विद्वान निचली अदालत ने उचित रूप से निर्धारित किया था कि क्रमांक नम्बर.1,2 और 3 के दस्तावेजों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वे साक्ष्य के तय किए गए कानून के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं।हालाँकि प्रत्यर्थी के अनुसार, उसी समय न्यायालय ने क्रमांक नम्बर.6 और 7 पर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में त्रुटि की थी, जिसकी अनुमति स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भी नहीं दी गई थी।

(6) प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से की गई उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, पहले मध्यस्थता अधिनियम की प्रासंगिक धारा 5,19 और 27 के बुनियादी प्रावधानों से परिचित होना उचित है, ताकि उनके उचित परिप्रेक्ष्य में दिए गए तर्कों की सराहना की जा सके।

(7) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है -

“5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार-इसके बावजूद

तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित कोई भी बात, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया हो।"

(8) मध्यस्थता अधिनियम के अध्याय 5 में निम्नलिखित धारा 19 के प्रावधान अब नीचे दिए गए हैं -

"19. प्रक्रिया के नियमों का निर्धारण।—

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) से बाध्य नहीं होगा।

(2) इस भाग के अधीन रहते हुए, पक्षकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अपनी कार्यवाहियों के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण, इस भाग के अधीन रहते हुए, उस तरीके से कार्यवाहियों का संचालन कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।

(4) उप-धारा (3) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शक्ति में किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और भार निर्धारित करने की शक्ति शामिल है।"

(9) अंत में, प्रासंगिक धारा 27, जिसके तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य लेने के लिए न्यायालय की सहायता मांगता है, प्रदान करता है -

"27. साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता।

— मेसर्स बीजे-टेक्नो-हास (जेवी) बनाम नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर 95

निगम लिमिटेड (सुदीप अहलूवालिया, न्यायामूर्ति)

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुमोदन के साथ एक पक्ष, साक्ष्य लेने में सहायता के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(2) आवेदन में निर्दिष्ट किया जाएगा -

((क) पक्षकारों और मध्यस्थों के नाम और पते;

(ख) दावे की सामान्य प्रकृति और मांगी गई राहत; (ग) प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य, विशेष रूप से, -

((i) गवाह या विशेषज्ञ गवाह के रूप में सुने जाने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम और पता और आवश्यक गवाही के विषय का बयान;

((ii) प्रस्तुत किए जाने वाले किसी दस्तावेज या निरीक्षण की जाने वाली संपत्ति का विवरण।

(3) न्यायालय, अपनी क्षमता के भीतर और साक्ष्य लेने पर अपने नियमों के अनुसार, यह आदेश देकर अनुरोध को निष्पादित कर सकता है कि साक्ष्य सीधे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रदान किया जाए।(4) न्यायालय, उप-धारा (3) के तहत आदेश देते समय गवाहों को वही प्रक्रियाएं जारी कर सकता है जो वह उसके समक्ष विचारण किए गए मुकदमों में जारी कर सकता है।

(5) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार उपस्थित होने में विफल रहने वाले व्यक्ति, या कोई अन्य चूक करने वाले, या अपना साक्ष्य देने से इनकार करने वाले, या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के दौरान मध्यस्थता न्यायाधिकरण को किसी भी अवमानना के दोषी, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रतिनिधित्व पर न्यायालय के आदेश द्वारा समान नुकसान, दंड और दंड के अधीन होंगे जैसा कि वे न्यायालय के समक्ष विचारण किए गए मुकदमों में समान अपराधों के लिए करेंगे।

(6) इस धारा में "प्रक्रियाएं" पद में गवाहों की जांच के लिए समन और कमीशन और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए समन शामिल हैं।”

(10) ऊपर पुनः प्रस्तुत की गई धारा 19 (1) और (4) से यह देखा गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं है और उप-धारा (3) के तहत इसकी शक्ति में किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और भार निर्धारित करने की शक्ति शामिल है। तथापि, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि पक्षकार किसी भी

स्तर पर न्यायाधिकरण द्वारा 96 में अपनाई जाने वाली किसी भी प्रक्रिया के लिए सहमत हुए।

उप-धारा (2) द्वारा आवश्यकतानुसार अपनी कार्यवाहियों का संचालन करना, जिसके कारण, अब स्वतः ही न्यायाधिकरण को उस तरीके से कार्यवाहियों का संचालन करना है जिसे वह उचित समझता है।सांविधिक रूप से यह सी. पी. सी. या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सख्त नियमों से बाध्य नहीं है, और इसलिए, उसके पास प्रस्तुत किए गए या पेश किए जाने के लिए मांगे गए किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित करने की शक्ति है।

(11) जब इस प्रकार धारा 5 के संयोजन में पढ़ा जाता है, जैसा कि ऊपर पैरा 7 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो मध्यस्थ कार्यवाही में न्यायिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को रोकता है, सिवाय इसके कि जब अधिनियम के भाग I के तहत विशेष रूप से अनुमति दी गई हो, तो यह तार्किक रूप से इस बात का पालन करेगा कि न्यायाधिकरण यह तय करने के अपने अधिकार के भीतर था कि दावेदार के आवेदन के संदर्भ में कौन सा साक्ष्य सामग्री या प्रासंगिक या स्वीकार्य था, जिसके आधार पर अंततः ऐसे साक्ष्य को पेश करने के लिए न्यायालय की सहायता मांगी गई थी।ऐसी स्थिति में, संबंधित न्यायालय, जिसकी उस उद्देश्य के लिए सहायता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के माध्यम से मांगी गई थी, स्पष्ट रूप से उक्त साक्ष्य के उत्पादन के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय की कानूनी शुद्धता में प्रवेश नहीं कर सकता था।

(12) तथापि, प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि दावेदार के कहने पर अभिलेख पर रखे जाने के लिए मांगे गए कुछ दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे ज्यादातर प्रत्यर्थी की फाइलों पर आंतरिक नोट होते हैं, जो विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में साक्ष्य में अस्वीकार्य माने गए हैं, और इस तर्क के समर्थन में कई निर्णय प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत किए गए हैं।ये होते हैं -

i) सेठी ऑटो सेवा केंद्र और दूसरा बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य 1;

(ii) शांति स्पोर्ट्स क्लब और दूसरा बनाम भारत संघ और अन्य 2;

(iii) जसबीर सिंह छाबड़ा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 3;

(iv) भारत संघ और दूसरा बनाम अशोक कुमार अग्रवाल 4.

1 2009(1) एससीसी 180

2 (2009) 15 एस. सी. सी. 705 3 (2014) 4 S.C.C.192 एम/एस. बीजे-टेक्नो-एच. ए. एस. (जे. वी.) बनाम राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति

(13) उपर्युक्त सभी निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विभागीय फाइलों पर आंतरिक टिप्पणियों को संबंधित प्राधिकरण का वास्तविक निर्णय नहीं होने के कारण साक्ष्य में नहीं लाया जा सकता है।कानूनी स्थिति का यह हिस्सा निर्विवाद है, लेकिन साथ ही, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि उपरोक्त निर्णयों में से कोई भी किसी भी साक्ष्य की प्रासंगिकता या स्वीकार्यता पर निर्णय लेने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शक्ति के संदर्भ में पारित नहीं किया गया था, जो पहले से ही देखा गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सख्त प्रावधानों की कठोरता और जाल से स्वतंत्र है, और इसलिए, एल. डी. निम्न न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन पर विचार करते समय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं था। प्रत्यर्थी का पक्ष कोई उदाहरण दिखाने में असमर्थ रहा है, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत न्यायालय की सहायता के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य की ग्राह्यता पर निर्णय को कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।इसके विपरीत, दावेदार पक्ष ने अपने इस तर्क के समर्थन में कई निर्णय दिए हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत उसे संदर्भित मामले से निपटने में न्यायालय की भूमिका इस तरह के साक्ष्य को एकत्र करने और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को आपूर्ति करने के लिए अपनी मशीनरी प्रदान करने तक सीमित है, और न्यायाधिकरण द्वारा मांगे गए साक्ष्य की ग्राह्यता पर निर्णय लेने के लिए नहीं है।

(14) इसी तरह के एक मामले से निपटने में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने

“थिस आईविनेक्स इंडिया बनाम एनटीपीसी लिमिटेड एंड एन. आर. ", ओ. एम. पी. (E) (COMM.) 12/2016 को 28.3.2016 पर तय किया गया था, इसी तरह से विज्ञापित किया गया था

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5,19 और 27, जिन्हें इस निर्णय में भी पुनः प्रस्तुत किया गया है, और कहा गया है -

“25. धारा 5 विशेष रूप से किसी भी न्यायिक प्राधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से रोकती है, किसी भी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिनियम के भाग I द्वारा शासित मामलों में कुछ समय के लिए, अधिनियम में प्रदान की गई सीमा को छोड़कर। धारा 19 (1) के अवलोकन पर, यह ध्यान दिया जाता है कि न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं होगा।धारा 19 (2) में विचार किया गया है कि पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।धारा 19 (3) में कहा गया है कि किसी भी समझौते में विफल रहने पर न्यायाधिकरण उस तरीके से कार्यवाही का संचालन कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।धारा 19 (4) में विचार किया गया है कि न्यायाधिकरण स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन 4 (2013) 16 एस. सी. सी. 147

किसी भी प्रमाण से।19 (4) के विपरीत, धारा 27 के अवलोकन से पता चलता है कि यह साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता के लिए अधिनियमित किया गया है।धारा 27 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें न्यायालय किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित कर सके।न्यायालय के लिए एकमात्र आवश्यकता यह सुनिश्चित करना है कि वह अपनी क्षमता के भीतर है और साक्ष्य लेने पर अपने नियमों के अनुसार है।प्रयोग की गई शक्ति की प्रकृति अनुरोध को निष्पादित करना है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों की अप्रयोज्यता को देखते

हुए न्यायाधिकरण अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकता है।इस तरह के अनुरोध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधिकरण के निर्देश का अनुमान लगाया गया है, जिसका पालन नहीं किया गया है।

26. इसके अलावा, किसी न्यायालय की क्षमता किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन का निर्धारण करने के समान नहीं है, अन्यथा धारा 27 ने ऐसा कहा होगा।'अपने नियमों के अनुसार' शब्दों का अर्थ गवाह को उसी तरह से प्रक्रिया जारी करना माना गया है जैसे न्यायालय अपने समक्ष मुकदमे में जारी करता है।"

(15) मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स एसए एंटरप्राइजेज समीक्षा याचिका (एल) No.51 के खिलाफ 2015 की मध्यस्थता याचिका No.1544 में इसी तरह 16.10.2015

बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था-"40। मेरे विचार में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वयं गवाह को समन जारी नहीं कर सकता है या कुछ दस्तावेज पेश करने के अपने आदेश को लागू नहीं कर सकता है या किसी पक्ष या तीसरे पक्ष को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अनुमोदन से कार्यवाही का एक पक्ष साक्ष्य लेने में सहायता के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।मेरे विचार में, इस स्तर पर, यह न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्ष्य लेने में इस न्यायालय की सहायता लेने के लिए प्रतिवादी को अनुमति देने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश की वैधता और शुद्धता में नहीं जा सकता है। यह मध्यस्थ को तय करना है कि पक्षकारों के बीच विवाद के उचित निर्णय के लिए विशेष दस्तावेज या किसी विशेष गवाह की उपस्थिति आवश्यक होगी या नहीं, यदि मध्यस्थता कार्यवाही के लिए पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई आवेदन किया जाता है।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत इन कार्यवाहियों में, यह न्यायालय यह निर्णय नहीं ले सकता है कि क्या

ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना या ऐसे गवाह की उपस्थिति आवश्यक थी या नहीं।"

(16) पुनः उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करने के बाद

स्टेमकोर (एस. ई. ए.) में मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले (ऊपर) में पीटीई। सीमित बनाम मध्य पूर्व एकीकृत स्टील

सीमित "5 ने देखा था-" 53। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन की सुनवाई के चरण में, यह न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्ष्य लेने में इस न्यायालय की सहायता लेने के लिए प्रतिवादी को अनुमति देने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश की वैधता और शुद्धता में नहीं जा सकता है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 का उद्देश्य, मेरे विचार में, मध्यस्थता कार्यवाही में तेजी लाने की दृष्टि से मध्यस्थता न्यायाधिकरण या किसी पक्ष को साक्ष्य लेने में सहायता प्रदान करना है।विधायिका ने मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 को शामिल किया है और इस प्रकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण के साथ-साथ पक्षों को अदालत की सहायता लेने का अधिकार दिया है।न्यायालय को किसी पक्ष या यहां तक कि तीसरे पक्ष को पक्ष या यहां तक कि तीसरे पक्ष को बुलाकर दस्तावेज या गवाह पेश करने का निर्देश जारी करने का अधिकार है यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अनुमति दे दी है और उसकी राय है कि ऐसे दस्तावेजों या तीसरे पक्ष सहित ऐसे पक्ष के साक्ष्य का उत्पादन उसके समक्ष विवाद के उचित और प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक होगा।मेरे विचार में, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम एस. ए. एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होंगे।मैं इस मामले में अलग दृष्टिकोण रखने का प्रस्ताव नहीं करता।"

(17) इसी तरह, "मोंटाना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड" में। मुंबई बनाम आदित्य डेवलपर्स, मुंबई और अन्य, 2016 की मध्यस्थता याचिका (लॉजिंग) No.680 ने 22.6.2016 पर निर्णय लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट

अदालत ने कहा था -16. इस प्रकार मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के

तहत शक्तियां न्यायिक शक्तियां नहीं हैं।मेरे विचार में, उक्त प्रावधान 5 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1179 100

एक पक्ष को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है जिसके पक्ष में विद्वान मध्यस्थ ने राय दी है कि उसके मामले के तथ्यों में दस्तावेजों या गवाह का उत्पादन आवश्यक था।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 19 के तहत, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि विद्वान मध्यस्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं होगा।मेरे विचार में, इस प्रकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी गवाह को समन जारी करने या किसी पक्ष को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। यदि विद्वान मध्यस्थ किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर संतुष्ट है कि गवाह या दस्तावेज जो किसी पक्ष द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद पेश नहीं किए जा रहे हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे पक्ष को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत इस न्यायालय की सहायता लेने की अनुमति दे सकता है। मेरे विचार में, केवल इसलिए कि एक पक्ष ने पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए मध्यस्थता कार्यवाही दायर की है, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ को प्रदान नहीं किए गए गवाह को बुलाने की शक्तियों को देखते हुए नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

19. मैं प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्यवाही में, न्यायालय विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर निर्णय ले सकता है।मेरे विचार में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील सही है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत, विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में गवाह समन जारी करने के लिए इस न्यायालय की सहायता लेने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं है।

20.यद्यपि प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील इस न्यायालय को विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर संबोधित करना चाहते थे कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अतिरिक्त गवाहों को पेश करना या दस्तावेजों को पेश करना बिल्कुल भी आवश्यक क्यों नहीं था, क्योंकि उत्तरदाता इस स्तर पर याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की सहायता लेने की अनुमति देने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं, यह न्यायालय इस स्तर पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर प्रतिवादीगण को नहीं सुन सकते हैं।"

निगम लिमिटेड (सुदीप अहलूवालिया, न्यायामूर्ति) 101

"15. दोहराने की कीमत पर मैं दोहराता हूं कि अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के तहत न्यायालय के पास निहित शक्तियों का प्रयोग इस न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने समक्ष मामलों का प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय ले सके।मेरे विचार में, कोई भी अन्य व्याख्या, धारा 27 के प्रावधानों को अनावश्यक बना देगी और मध्यस्थता के उद्देश्य को ही विफल कर देगी।मामले के उस दृष्टिकोण में, सामान्य रूप से इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को आदेश पारित किया होगा कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1 की विफलता पर मूल्यांकन आदेश प्रस्तुत करे। हालाँकि, चूंकि विद्वान ए. जी. पी. ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।"

(19) डेल्टा डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम यूनाइटेड स्पिरिट्स

सीमित और अन्य[6], उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कुछ दस्तावेजों के उत्पादन के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की धारा 27 के आवेदन का समर्थन किया था, जो स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' दस्तावेज थे, और अपीलार्थी को वही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जो प्रतिवादीगण द्वारा मांगा गया था।सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं -

“ 25.2.यदि हम इन दो धाराओं में उपयोग किए गए शब्दों को देखते हैं, तो वे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी पक्ष द्वारा दिए गए किसी भी विवरण या बयान में निहित विवरण, या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज गोपनीय हैं, और कोई भी अदालत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगी जिसमें सरकार या सरकारी कर्मचारी से ऐसा कोई विवरण, दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी कानून में उपयोग किए गए शब्दों को उनके अर्थ का पता लगाने के लिए, यथासंभव उपयोग किए जाने पर पढ़ा जाना चाहिए।इन दोनों प्रावधानों में केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उसमें उल्लिखित दस्तावेजों को पेश करने पर रोक थी।इसमें किसी पक्ष के खिलाफ ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने पर कोई रोक नहीं है।

6 (2014) 1 एससी. सी. 113

25.3 1971 (1) एस. सी. सी. 284 में रिपोर्ट किए गए तुलसीराम संगनारिया बनाम एनी राय और अन्य मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 54 (1) में एक समान प्रावधान की व्याख्या की और कहा कि उक्त प्रावधान ने आयकर विभाग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा उसमें उल्लिखित दस्तावेजों को पेश करने पर रोक लगा दी है और उन पर उसमें उल्लिखित रिकॉर्ड और दस्तावेजों को गोपनीय रखने को अनिवार्य बना दिया है, लेकिन निर्धारिती या उसका प्रतिनिधि साक्ष्य के रूप में मूल्यांकन आदेश प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा साक्ष्य स्वीकार्य है।इस प्रकार, यदि किसी दावे का निर्णय मूल्यांकन के आदेश के आधार पर किया जाना है, तो दावेदार को भी मूल्यांकन आदेश प्रस्तुत करने के लिए संबंधित पक्ष को निर्देश देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

25.4.यह वही प्रार्थना है जिसकी अनुमति तत्कालीन मध्यस्थ द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 27-3-2007 द्वारा दी गई है, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित बाद के आदेश दिनांक 16-9-2011 द्वारा भी दी गई है, और हमारे विचार में यह सही है।दूसरी आपत्ति में भी कोई सार नहीं है।

26 एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, अर्थात, जब पहले प्रत्यर्थी ने मूल्यांकन आदेशों को प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन किया था, तो अपीलार्थी द्वारा अपने हलफनामे दिनांक 16-9-2011 में लिया गया बचाव यह था कि वे दस्तावेज गोपनीय दस्तावेज थे, और उन्हें प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था।उस समय यह नहीं कहा गया था कि उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।इसके दस महीने बाद, जब उच्च न्यायालय में दूसरा हलफनामा दायर किया गया, तो प्रतिवादी ने पहली बार तर्क दिया कि उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।यह स्पष्ट रूप से एक विचार के बाद था, और प्रतिवादी के इस रवैये ने एक तरह से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित धारा 27 के तहत आवेदन की अनुमति देने वाले पहले के आदेश को उचित ठहराया।संबंधित क्षेत्र के बिक्री कर के सहायक आयुक्त को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था ताकि उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सके।हालाँकि, उन्होंने बताया कि वे दस्तावेज़ पुराने रिकॉर्ड थे, और नष्ट कर दिए गए थे।विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी 2 के खिलाफ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया, जैसा कि मांगा गया था।हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रार्थना खंड एम/एस बीजे-टेक्नो-हास (जेवी) बनाम राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के संदर्भ में अपीलार्थी के खिलाफ याचिका को सही मंजूरी दी।

(क), अपीलार्थी को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश देना जो प्रत्यर्थी द्वारा मांगे गए थे।

27. इन परिस्थितियों में, अपील में कोई योग्यता नहीं है।इसलिए याचिका खारिज की जाती है।"

(20) दावेदार अर्थात 2018 के सी. आर. नम्बर 9540 में याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में भी कोई संकोच नहीं है कि केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के संदर्भ में सख्ती से मांगे गए दस्तावेजों की मांग एल. डी. द्वारा सुरक्षित की जानी चाहिए थी। न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि

न्यायालय ने मांगे गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने में गलती की थी। नतीजतन, 2018 के सी. आर. नम्बर 9540 को आक्षेपित आदेश के उस हिस्से को अलग करने के बाद समग्रता में अनुमति दी गई है, जिसके अनुसार, एल. डी. निचली अदालत ने निर्धारित किया था कि क्रम Nos.1 से 3 में शामिल दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।मध्यस्थ कार्यवाही में प्रत्यर्थी के कहने पर दायर 2019 के प्रति-नागरिक संशोधन (आईडी2) को आंशिक रूप से इस हद तक अस्वीकृत आदेश को दरकिनार करने के बाद अनुमति दी जाती है कि प्रत्यर्थी को क्रम (आईडी1) और 7 पर भी दस्तावेजों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भी नहीं बुलाया गया था।

(21) एल. डी. इसलिए, नीचे दिए गए न्यायालय को यह देखने का निर्देश दिया जाता है कि दावेदार के मूल आवेदन के 5 के खिलाफ दस्तावेज, जिन्हें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 के तहत पेश करने की मांग की गई थी, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष रखे जाएं।उसी समय, यह याद किया जा सकता है कि 6.5.2019, Ld पर। हालाँकि, प्रत्यर्थी (एन. एच. पी. सी.) के वकील ने प्रस्तुत किया था कि वह Sr.No.5 पर दस्तावेज़ के संबंध में निर्देश का पालन करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि इसके विवरण में महत्वपूर्ण सामग्री विवरण की कमी थी।उस स्तर पर, Ld. याचिकाकर्ता/दावेदार के वकील ने प्रस्तुत किया था कि संबंधित दस्तावेज पहले से ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फाइल पर उपलब्ध है, और यदि ऐसा आवश्यक है, तो वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष इसकी पहचान करेगा और प्रतिवादी को इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता देगा।

(22) मूल आवेदन (अनुलग्नक पी-1) के Sr.No.5 पर विवादित दस्तावेज़ के संबंध में याचिकाकर्ता/दावेदार को भी ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और इस प्रकार इन दोनों संशोधनों को ऊपर दर्ज टिप्पणियों के साथ निपटाया जाता है।

एंजेल शर्मा

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ! सभी व्यव्हारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

प्रताप सिंह

(अनुवादक)